Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को 40 हजार रुपये एवं सहायक अभियंता को 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 जनवरी, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.डब्ल्यू. इकाई जयपुर द्वारा आज सवाईमाधोपुर में कार्यवाही करते हुये **ओमप्रकाश मीणा अधिशासी अभियंता** को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते तथा **मुरारी लाल मीणा सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग**, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.डब्ल्यू.इकाई जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये निर्माण एवं मेंटिनेंस कार्यों के बकाया करीब 10 लाख रुपये के बिलों को पास करवाने की एवज में ओमप्रकाश मीणा अधिशासी अभियंता एवं मुरारी लाल मीणा सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रत्येक के कमीशन के रूप में **50–50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी की एस.आई.डब्ल्यू. इकाई जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित किशोर शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री चित्रगुप्त महावर** एवं उनकी टीम के साथ आज सवाईमाधोपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये ओमप्रकाश मीणा पुत्र श्री सांवलराम मीणा निवासी वार्ड नं0 6, मीणा कॉलोनी, बजरिया, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर हाल अधिशासी अभियंता को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते तथा मुरारी लाल मीणा पुत्र श्री मंगलराम मीणा निवासी प्लॉट नं0 22, मीणा कॉलोनी, बजरिया, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर हाल सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला सवाईमाधोपुर परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा 10 हजार रुपये तथा सहायक अभियंता द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।